JODHPUR
19 सितंबर 2026
दैनिक नवज्योति
DIGITAL EDITION
04:00 PM
Everyday @ 04:00 PM



क्राइम समाचार

रोडवेज बस स्टैंड पर एमडी के साथ युवक गिरफ्तार

नवज्योति/जोधपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत उदयमंदिर थाना पुलिस ने शुक्रवार दोपहर राइकाबाग रोडवेज बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 42.13 ग्राम एमडी (मादक पदार्थ) बरामद किया है।

42.13 ग्राम मादक पदार्थ बरामद, उदयमंदिर थाना पुलिस की कार्रवाई, बालोतरा निवासी आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार कार्रवाई के दौरान कल्याणपुरा, बालोतरा निवासी रमेश बिश्नोई (27) पुत्र रामप्रताप को पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से 42.13 ग्राम एमडी बरामद होने पर पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में तस्करी के नेटवर्क की कड़ियां खंगालेगी पुलिस

कार्रवाई के बाद उदयमंदिर थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच रातानाडा थाना सीआई जुल्फिकार अली को सौंपी गई है। जांच के दौरान पुलिस आरोपी से मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त, सप्लायर और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इस संबंध में पूछताछ करेगी। पुलिस अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी के पास एमडी कहां से पहुंची और इस नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन लोग जुड़े हैं। बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक परिवहन केंद्र पर कार्रवाई को पुलिस के मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

आखिर ने कॉल किया और खाते में पैसे

विशेषज्ञों ने पुलिसकर्मियों को बताए बाल अधिकारों और किशोर न्याय प्रक्रिया के कानूनी पहलू

बाल-संवेदनशील पुलिसिंग को लेकर एनएलयू जोधपुर में कार्यशाला



जोधपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में विधि से संघर्षरत बच्चों के साथ संवेदनशील, बाल-अनुकूल एवं अधिकार आधारित व्यवहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक दिवसीयक्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। विश्वविद्यालय की विधिक सहायता एवं जागरूकता समिति (LAAC) ने कुलगुरु प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर के सान्निध्य में यूनिसेफ के सहयोग से प्रोजेक्ट CARE के तहत 'बाल-संवेदनशील पुलिसिंग' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला में बच्चों की पहचान एवं गोपनीयता की सुरक्षा, किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत पुलिस की जिम्मेदारियों, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, बच्चों के विकास, संवेदनशीलता और पुनर्वास जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

पहले सत्र में यूनिसेफ के बाल विशेषज्ञ आशुतोष श्रीवास्तव ने विधि से संघर्षरत बच्चों के साथ पुलिसकर्मियों के व्यवहार में क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी दी। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74, किशोर न्याय बोर्ड और पॉक्सो अधिनियम से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा की। बच्चों से सम्मानजनक संवाद, उनकी भावनात्मक स्थिति को समझने तथा भय और दबाव से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

दूसरे सत्र में यूनिसेफ के वरिष्ठ बाल विशेषज्ञ डॉ. संजय निराला ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम कानून तथा भारतीय न्याय संहिता के तहत बच्चों से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। तीसरे सत्र में राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र सोनी ने किशोर न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों की पहचान, निजता और गरिमा की सुरक्षा के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में एनएलयू के सहायक प्रोफेसर डॉ. अंजली थानवी और डॉ. सिद्धार्थ बालानी सहित विशेषज्ञों ने भी सहभागिता की। केस स्टडी और व्यावहारिक परिचर्चा के माध्यम से प्रतिभागियों ने वास्तविक परिस्थितियों में बाल-केंद्रित पुलिसिंग के अनुप्रयोग को समझा। इस अवसर पर 'बाल-केंद्रित पुलिसिंग' पुस्तक का विमोचन भी किया गया। समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रतिक्रियाएं ली गईं तथा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

कानून से संघर्षरत बच्चों की सुरक्षा पर पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण



पुस्तक का विमोचन करते हुए।

जोधपुर @ पत्रिका. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर की विधिक सहायता एवं जागरूकता समिति ने यूनिसेफ के सहयोग से एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया।

कुलगुरु प्रो. हरप्रीत कौर के सान्निध्य में आयोजित यह कार्यशाला 'बाल-संवेदनशील पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनानाः कानून के साथ संघर्ष में फंसे बच्चों की सुरक्षा' विषय पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों के साथ संवेदनशील, बाल-अनुकूल और अधिकार-आधारित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों की समझ और व्यावहारिक क्षमता को मजबूत करना था। कार्यशाला में बच्चों की पहचान एवं गोपनीयता की सुरक्षा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पुलिस की वैधानिक जिम्मेदारियों, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा बच्चों के विकास, संवेदनशीलता और पुनर्वास जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर 'बाल-केंद्रित पुलिसिंग' पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

पुलिसकर्मियों को बताए बाल अधिकारों के कानूनी पहलू

बाल-संवेदनशील पुलिसिंग पर एनएलयू में एक दिवसीय कार्यशाला

नवज्योति/जोधपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रति संवेदनशील और अधिकार आधारित पुलिसिंग को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। विधिक सहायता एवं जागरूकता समिति ने यूनिसेफ के सहयोग से प्रोजेक्ट केयर के तहत कार्यशाला आयोजित की। विशेषज्ञों ने बच्चों की पहचान व गोपनीयता की सुरक्षा, किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत पुलिस की जिम्मेदारियों, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और पुनर्वास संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। यूनिसेफ के बाल विशेषज्ञ आशुतोष श्रीवास्तव ने पुलिसकर्मियों को बच्चों के साथ व्यवहार में क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी दी। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74, किशोर न्याय बोर्ड और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा की। वरिष्ठ बाल विशेषज्ञ डॉ. संजय निराला ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम कानून और भारतीय न्याय संहिता में बच्चों से जुड़े प्रावधान बताए। राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र सोनी ने किशोर न्याय प्रक्रिया में बच्चों की निजता और गरिमा की सुरक्षा के कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डाला। केस स्टडी और परिचर्चा के जरिए बाल-केंद्रित पुलिसिंग के व्यावहारिक पहलुओं को समझाया गया। इस अवसर पर बाल-केंद्रित पुलिसिंग पुस्तक का विमोचन भी हुआ।



No. RAJHIN/2012/45413

समाचार मंच

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में बाल-संवेदनशील पुलिसिंग पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

बाल अधिकारों एवं किशोर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एनएलयू जोधपुर में कार्यशाला

एनएलयू जोधपुर में बाल-अनुकूल पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर विशेष कार्यशाला

(खबर चक्र)

जोधपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर की विधिक सहायता एवं जागरूकता समिति (Legal Aid and Awareness Committee - LAAC) द्वारा कुलगुरु प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर के सान्निध्य में, यूनिसेफ (हड्डष्श्वस्त्र) के सहयोग से, प्रोजेक्ट CARE - Child Advocacy through Rights Empowerment के अंतर्गत 'Strengthening Child-Sensitive PolicingÑ A Capacity-Building Workshop on the Protection of Children in Conflict with La' विषय पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्देश्य किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों के साथ संवेदनशील, बाल-अनुकूल एवं अधिकार-आधारित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों की समझ और व्यावहारिक क्षमता को सुदृढ़ करना था। इसमें बच्चों की पहचान एवं गोपनीयता की सुरक्षा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत पुलिस की वैधानिक जिम्मेदारियों, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा बच्चों के विकास, संवेदनशीलता और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में सहभागिता की। इनमें श्री राजेंद्र सोनी, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय; श्री आशुतोष श्रीवास्तव, बाल विशेषज्ञ, यूनिसेफ; डॉ. अंजली थानवी, सहायक प्रोफेसर, डॉ. सिद्धार्थ वालानी, सहायक प्रोफेसर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर; तथा डॉ. संजय निराला, वरिष्ठ बाल विशेषज्ञ, यूनिसेफ शामिल रहे।



कार्यशाला में 3 विषयगत सत्र आयोजित किए गए। प्रथम सत्र में श्री आशुतोष श्रीवास्तव ने विधि से संघर्षरत बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक क्या करें और क्या न करें संबंधी व्यावहारिक दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए। सत्र के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 74, किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की गई। बच्चों के साथ सम्मानजनक संवाद स्थापित करने, उनकी भावनात्मक स्थिति एवं संवेदनशीलता को समझने तथा भय, दबाव और अपमान से बचते हुए बाल-अनुकूल पुलिसिंग अपनाने पर विशेष जोर दिया गया।

द्वितीय सत्र में डॉ. संजय निराला ने बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं बच्चों के अधिकारों पर चर्चा की। सत्र के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006 -), बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। चर्चा में बाल विवाह, बाल एवं किशोर श्रम तथा बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनी पहलुओं को समझने और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया।

तृतीय सत्र श्री राजेंद्र सोनी ने किशोर न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों की पहचान एवं गोपनीयता की सुरक्षा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों की निजता, गरिमा तथा पहचान से संबंधित जानकारी के संरक्षण के महत्व पर चर्चा की।

सैद्धांतिक चर्चाओं के साथ-साथ कार्यशाला में केस स्टडी एवं व्यावहारिक परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित किशोर न्याय संबंधी उदाहरणों के माध्यम से कार्यशाला में अर्जित सीख के अनुप्रयोग पर चर्चा हुई। इस अवसर पर 'बाल-केंद्रित पुलिसिंग' नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। समापन सत्र में निष्कर्षात्मक विचार, प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।